न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-100/2011

गोविन्दराम दत्तक पुत्र पसारामजी जाति बलाई निवासी ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज0)

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- रामेश्वरलाल पुत्र गणपतराम जाति बलाई निवासी गोकुलपुरा तहसील तहसील व जिला सीकर (राज0)

2- उप पंजीयक सीकर तहसील व जिला सीकर (राज0)

3- तहसीलदार सीकर तहसील व जिला भू0 सीकर (राज0)

---रेस्पोंडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18-6-2011 पारित उप खण्ड अधिकारी, सीकर ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- अपीलान्ट

निर्णय दिनांक- 5-7-2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत में दावा बाबत उद्घोषणा व हुक्म इम्तनाई दवामी के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है । प्रतिवादी सं0-1 के कोई जायन्दा पुत्र नहीं है। प्रतिवादी सं0-1 ने अपनी पत्नी की सहमति से शुभ मिति चैत्र सुदी 9 (रामनवमी) सम्वत 2031 को हिन्दू रिती रिवाज के अनुसार वादी के जन्म दाता माता-पिता की सहमति से गोद लिया था । तब से वादी प्रतिवादी संख्या-1 के साथ पुत्रवत रह रहा है । वादी की शिक्षा एवं शादी प्रतिवादी ने ही की है

Web Copy - Not Official

राशन कार्ड में प्रतिवादी सं0-1 के साथ वादी एवं उसके पुत्र, पत्नी का नाम दर्ज है ।

प्रतिवादी सं0-1 की पुश्तैनी आराजी ख0नं0 204 रकबा 0.04 हैक्टर ,ख0नं0 205 रकबा 1.60 हैक्टर कुल किता-2 रकबा 1.64 हैक्टर ग्रा ग्राम गोकुलपुरा में स्थित है ।उक्त आराजी पैत्रिक है जिसमें वादी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है।इस कारण उक्त आराजी में वादी प्रति--वादी सं0-1 के साथ सहखातेदार काश्तकार दर्ज कराने का अधिकारी है । प्रतिवादी संख्या-1 कुछ समय पहले कुछ लोगों के बहकावे में आ गया। तथा राजस्व रेकार्ड उसके अकेले के नाम होने से इस आराजी को बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो गया ।यदि यह आराजी का बेचान कर देता है तो वादी को अपने अधिकारों से वंचित रहना होगा । अतः दावा स्वीकार कर उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या-1 के साथ सहकाश्त-कार घोषित किया जावे । अदालत मातहत ने वादी का दावा स्वीकार कर सिविल न्यायालय के निर्णय तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के लिए पाबन्द किया गया ।इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 ने अपीलान्ट के दत्तक ग्रहिता पिता फूसाराम ने उनके जीवनकाल में दिनांक 16-1-2007 को वाद पत्र पेश कर ००० विवादित आराजी पैतृक बताकर वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 कें संयुक्त कब्जा काश्त में बताकर इस आराजी में से 1/2 हिस्सा का सहकाश्तकार है ।00 अतः प्रतिवादी सं0-1 के ०००० साथ वादी को भी सहखातेदार घोषित किया जावे ।राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या-1 का नाम दर्ज रहने से वह इस आराजी को बिना वादी की सहमति से बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू है । इस कारण प्रतिवादी संख्या-1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द भी00

किया जावे ।अदालत मातहत ने वादी का दावा तो खारिज कर दिया किन्तु उसी निर्णय में सिविल न्यायालय में निर्णय तक रेकार्ड व मौके की यथास्थिति का आदेश विधि विरूद्ध पारित कर दिया । जिसके कारण न तो वाद पत्र खारिज होने की श्रेणी में आता है और ना ही डिक्री होने की श्रेणी में आता है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिया है जिसमें सिविल न्यायालय के निर्णय तक विवादित आराजी की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश विधि विरूद्ध पारित किया है। दिनांक 16-6-2011 को अदालत मातहत में आदेश-22 नियम-10{क}सीपीसी पर बहस सुनी गई। इस प्रार्थना पत्र का निर्णय न कर दावे का ही निर्णय कर दिया ।जिसमें मौके व रेकार्ड की यथास्थिति का आदेश कानून के विपरित पारित कर दिया जो निर्णय निर्णय की परिभाषा में ही नहीं आता है । स्व0 फूसाराम का दत्तक पुत्र होकर अपीलान्ट एकमात्र कानूनी वारिस है। अपीलान्ट के अलावा अन्य कोई कानूनी वारिस नहीं है । अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करने से रोकने का आरबीट्रेरी निर्णयहै ।अदालत मातहत ने अपने आदेश से पूर्व अपीलान्ट को पक्षकार भी नहीं बनाया है ।इस कारण अदालत मातहत का निर्णय किसी भी प्रकार से निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर विद्वान वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2060 से 2063 में ख0नं0 204, 205 कुल किता-2 रकबा 1.64 हैक्टर की खातेदारी फूसा पुत्र मखना जाति हरिजन के नाम दर्ज है ।

मृत्यु प्रमाण पत्र में फूसाराम का देहान्त दिनांक 17-1-2008 को को होना दर्ज है । अदालत मातहत ने फूसाराम के कायम न बनाकर एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया है ।अदालत मातहत में वादी ने आदेश 22 नियम-10(क) सीपीसी की लिखित बहस पेश की है ।अदालत मातहत ने प्रतिवादी सं0-1 मृत फूसाराम के वारिसान की कोई कार्यवाही नहीं कर दावे का निर्णय किया जिसमें दावा को खारिज कर दिया तथा निर्णय के अन्त में पत्रावली नम्बर से कम हो के बाद में सिविल कोर्ट के निर्णय तक रेकार्ड एवं मौका स्थिति यथावत रखें। आदेश पारित कर दिया । राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-1/अपीलान्ट के दत्तक पिता विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिनको केवल दावे में दावा खारिज होने के बाद बिना किसी आधार के ही विधि के विपरित रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के लिये पाबन्द कर देना उचित नहीं मानते । प्रतिवाद संख्या-1 का देहान्त दिनांक 17-1-2008 को हो गया । जिसकी कायम मुकाम की कार्यवाही न कर एक मृत व्यक्ति को रेकार्ड एवं मौके के लिये पाबन्द किया जाना भी कानून संगत नहीं है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-6-2011 को आंशिक रूप से खारिज करते हुये " सिविल कोर्ट के निर्णय तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति यथावत रखें।" की हद तक खारिज किया जाता है । शेष निर्णय यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 5-7-2018 को सुनाया गया ।

5/7/18

(भैरूलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर